an>

Title: Need to consider release of aged and sick prisoners undergoing life imprisonment.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न को इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

देश की विभिन्न अदालतों में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग तीन करोड़ मुकदमें आज भी लम्बित हैं। एक मैक्जिम भी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय जल्दी नहीं मिलेगा तो लोगों को न्याय सुलभ नहीं होगा। इसी की देन है कि आज देश की विभिन्न जेलों में इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रायल विचाराधीन कैदी हैं और जो कन्विक्टिड हो चुके हैं, उनकी संख्या इतनी हो गई है कि हर जेल में जो निर्धारित संख्या है, उससे ज्यादा क्षमता में लोग रहते हैं।

दीपावली के दिन मैं अपने सिद्धार्थ नगर की जेल में उन लोगों को मिठाई और उनको शुभकामनाएं देने के लिए गया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप माँ भी हैं, स्पीकर भी हैं, 50 नेपाल की ऐसी महिलाएं होंगी, जिनके पाँच-पाँच, छह-छह साल के बच्चे हैं, उनके साथ वे निरूद्ध हैं एनडीपीएस एक्ट में, उसकी न कोई पैरवी है, न वह त्वरित निस्तारित हो रहा है, जिसके कारण वे बच्चे भी उसी जेल में पल रहे हैं। 70 साल की उम्र के 22 कैदी ऐसे हैं, जो पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी को सभी राज्य सरकारें जेल से, जिनका चाल-चलन अच्छा होता था, उनको 15 अगस्त, 26 जनवरी को छोड़ा जाता था, लेकिन विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि यदि अब किसी का आजीवन कारावास होगा, तो वह जीवन की अन्तिम सांस तक जेल में रहेगा।

महोदया, आप कल्पना कीजिए कि अगर आजीवन वह रहेगा, उसकी उम्र वहाँ 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, आँख की रोशनी चली गई, यहां तक कि वह लाचार हो गया तो जेलर और सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि हम इनके लिए किसको लगाएं, जो इनको टॉयलेट तक लेकर जाए या इनको उठाने-बिठाने का काम करे। यह एक ऐसी गंभीर विसंगति पैदा हो गई है कि जिसमें कोई अमेंडमेंट केन्द्र सरकार ही कर सकती है। अगर साठ साल से ऊपर के लोग हैं और जिनका चालचलन ठीक है, क्योंकि पहले 14 वर्ष में आजीवन कारावास में छूट जाते थे, लेकिन अभी 70, 75 और 80 साल के लोग जेलों में बंद पड़े हैं। केवल सिद्धार्थ नगर की जेल में ऐसे 22 लोग बंद पड़े हैं। एक रशियन लेडी है, जिसका एक पासपोर्ट का मामला है वह बंद पड़ी है, पचास नेपाल की महिलाएं हैं, जो बच्चों के साथ बंद हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये मामले समयबद्ध तरीके से निस्तारित हों। क्योंकि जब त्वरित फैसले होंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा, लोग जेलों से छूटेंगे। आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री सुनील कुमार सिंह और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।